

#### असाधारण

#### EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 196] No. 196] नई दिल्ली, सोमवार, अप्रैल 22, 2013/ वैशाख 2, 1935 NEW DELHI, MONDAY, APRIL 22, 2013/VAISAKHA 2, 1935

पर्यावरण और वन मंत्रालय

# अधिसूचना

# नई दिल्ली, 17 अप्रैल, 2013

सा.का.नि. 260 (अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम, 2010 (2010 का 19) की धारा 35 के खंड (ज) के साथ पठित धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2011 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय हरित अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ती) (संशोधन) नियम, 2013 है ।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- राष्ट्रीय हिरत अधिकरण (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की भर्ती, वेतन और सेवा के अन्य निबंधन और शर्तें) नियम, 2011 में, अनुसूची में क्रम सं. 13 और उससे संबंधित प्रविष्टि के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं और प्रविष्टियां अंतस्थापित की जाएंगी, अर्थात् : ——

# अनुसूची

| पद का नाम | पदों की      | वर्गीकरण       | वेतन बैंड और     | चयन पद है | सीधे भर्ती किए    | सीधे भर्ती किए जाने वाले   |
|-----------|--------------|----------------|------------------|-----------|-------------------|----------------------------|
|           | संख्या       |                | ग्रेड वेतन /     | अथवा      | जाने वाले         | व्यक्तियों के लिए अपेक्षित |
|           |              | •              | वेतनमान          | .अचयन पद  | व्यक्तियों के लिए | शैक्षिक और अन्य अर्हताएं   |
|           |              |                |                  |           | आयु-सीमा          | •                          |
| (1)       | · (2)        | (3)            | (4)              | (5)       | (6)               | (7)                        |
| 14. स्टाफ | 1*(2013)     | लागू नहीं होता | वेतन बैंड -2,    | अचयन      | लागू नहीं होता    | लागू नहीं होता             |
| कार चालक  | *कार्यभार के |                | 9300 - 34800     |           |                   |                            |
| (विशेष    | आधार पर      |                | रु. (ग्रेड वेतन- |           |                   |                            |
| श्रेणी )  | परिवर्तन     |                | 4200 रु.)        |           | ·                 |                            |
|           | किया जा      |                | ·                |           |                   | , i                        |
|           | सकता है ।    | ÷              |                  |           |                   |                            |
|           |              |                |                  | ·         |                   |                            |

|  | ·                             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·            |
|--|-------------------------------|--|
| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति   |
| विहित आयु और शैक्षिक अईताएं प्रोन्नत       |                               | द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न |
| व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी           |                               | पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता |
| (8)  | (9)                           | (10)   |
| लागू नहीं होता                             | लागू नहीं होता                | 100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर         |
|  |                               | प्रतिनियुक्ति द्वारा                             |

| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना       | भर्ती करने में किन  |
|---|--|---------------------|
| श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण किया       |  | परिस्थतियों में संघ |
| जाएगा   |  | लोक सेवा आयोग       |
|   |  | से परामर्श किया     |
| ·   |  | जाएगा .             |
| (11)  | (12)   | (13)                |
| प्रोन्नति : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में से ऐसे              | समूह 'ख' और समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नित समिति (पुष्टि | लागू नहीं होता      |
| स्टाफ कार चालक (श्रेणी-1) से प्रोन्नित जिनकी              | के लिए) जिसमें निम्नलिखित. होंगे :                   |                     |
| वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2800 रु.)         | (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा              |                     |
| में छः वर्ष की नियमित सेवा है !                           | नामनिर्देशित एक न्यायिक सदस्य —अध्यक्ष               |                     |
| टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,         | (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित           |                     |
| जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है,          | विशेषज्ञ सदस्य सदस्य — सदस्य                         | ·                   |
| प्रोन्नित के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे          | (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव                |                     |
| ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा       | या उसका नामनिर्देशितीसदस्य                           |                     |
| परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी                  | (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रारसदस्य                       |                     |
| अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष           |  |                     |
| से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने             |  | ٠,                  |
| अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी            |  |                     |
| अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली            |  |                     |
| उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की      |  |                     |
| अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।                          |  |                     |
|   |  |                     |

प्रतिनियुक्ति : वे व्यक्ति जो सदृश आधार पर नियमित पद धारण किए हुए हैं :

- (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1 9300-34800 रु. (ग्रेड वेतन-4200 रु.), या
- (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2800 रु.) में छः वर्ष की नियमित सेवा ।

- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य ;
- (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस : और
- (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

| (1)                                | (2)  | (3)            | (4)  | (5)  | (6)            | (7)            |
|------------------------------------|--|----------------|--|------|----------------|----------------|
| 15. स्टाफ<br>कार चालक-<br>श्रेणी-1 | 7* (2013)<br>* कार्यभार के<br>आधार पर<br>परिवर्तन किया<br>जा सकता है । | लागू नहीं होता | वेतन बैंड -1,<br>5200-20200 रु.<br>(ग्रेड वेतन-2800 रु.) | अचयन | लागू नहीं होता | लागू नहीं होता |

आवश्यक :

| (8)            | (9)            | (10)   |
|----------------|----------------|--|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 100% प्रोन्नित द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा |
|                |                |  |

| <u> </u>   | <u> </u>  |                 |
|--|---|-----------------|
|  |   |                 |
| (11)   | (12)  | (13)            |
| प्रोन्नित : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में से ऐसे स्टाफ           | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें | संघ लोक सेवा    |
| कार चालक(श्रेणी-II) से प्रोन्नित जिनकी वेतन बैंड-1,          | निम्नलिखित होंगे :                                      | आयोग सं परामर्श |
| 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2400 रु.) में 5 वर्ष की           | (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित एक | करना आवश्यक     |
| नियमित सेवा है।  | न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष                                 | नहीं है ।       |
| टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में,            | (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित              |                 |
| जिन्होंने अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है,             | विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य                                  | '               |
| प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा है, वहां उनसे             | (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका           |                 |
| ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा          | नामनिर्देशिती - सदस्य                                   | -               |
| परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी                     | (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य                       |                 |
| अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से,          |   |                 |
| इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने               |   |                 |
| ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी                    |   |                 |
| अर्हक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली               |   |                 |
| उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की         |   |                 |
| अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।                             |   |                 |
|  |   |                 |
| प्रतिनियुक्ति : वे व्यक्ति जो सदृश आधार पर                   |   |                 |
| नियमित पद धारण किए हुए हैं :                                 |   |                 |
| (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों           |   |                 |
| या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड           |   |                 |
| वेतन-2800 रु.), या   | · i   |                 |
|  |   |                 |
| (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों           |   | · :             |
| या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड           |   |                 |
| वेतन-2400) में 5 वर्ष की नियमित सेवा ।                       |   |                 |
| आवश्यक :   |   |                 |
| (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य :        |   |                 |
|  |   |                 |
| (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस ;           |   | , .             |
| और   |   |                 |
| (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक                |   |                 |
| का अनुभव ।   |   |                 |
| <br>  टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी,        |   | <b>,</b>        |
| जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर         | ·   |                 |
| नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे           | ·   | -               |
| इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के |   |                 |
| लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ।                     |   |                 |
| '  |   |                 |
| टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत              |   |                 |

केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/ विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य कांडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अविधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

| ` (1)     | (2)           | (3)            | (4)               | (5)  | (6)            | (7)      |
|-----------|---------------|----------------|-------------------|------|----------------|----------|
| 6. स्टाफ  | 6* (2013)     | लागू नहीं होता | वेतन बैंड -1      | अचयन | लागू नहीं होता | लागू     |
| ार चालक - |               |                | 5200-20200        |      |                | नहीं होत |
| णी -ii    | * कार्यभार के |                | रु० - ग्रेड वेतन- |      |                |          |
|           | आधार पर       | 1              | 2400 ₹0           |      | ÷ .            |          |
|           | परिवर्तन किया |                |                   |      |                |          |
|           | जा सकता है।   | ·              |                   |      | •              |          |
|           |               |                | ·                 |      |                |          |

| (8)            | (9)            | (10)   |
|----------------|----------------|--|
| लागू नहीं होता | लागू नहीं होता | 100% प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा   |
|                |                | specification of the second se |

(11)(13)प्रोन्नति : राष्ट्रीय हरित अधिकरण में से ऐसे स्टाफ कार समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) लागू नहीं होता चालक(श्रेणी-II) से प्रोन्नति जिनकी वेतन बैंड-1, 5200-जिसमें निम्नलिखित होंगे : 20200 रु. (ग्रेड वेतन-1900) में 8 वर्ष की नियमित सेवा है । (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने एक न्यायिक सदस्य - अध्यक्ष अपनी अर्हक/पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नित के लिए (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ विचार किया जा रहा है, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध - सदस्य में भी विचार किया जाएगा परन्तु यह तब जब कि उनके द्वारा (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका की गई ऐसी अर्हक/पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो नामनिर्देशिती - सदस्य वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होने ऐसी अईक/पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नित के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति : वे व्यक्ति जो सदृशं आधार पर नियमित पद धारण किए हुए हैं : (क) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-2400), (ख) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकारों या न्यायालयों या

1621 9713-2

अधिकरणों में वेतन बैंड-1, 5200-20200 रु. (ग्रेड वेतन-1900) में 8 वर्ष की नियमित सेवा ।

#### आवश्यक :

- (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड से मैद्रिकुलेशन या समतुल्य ;
- (ii) मोटर कार के लिए विधिमान्य ड्राईविंग लाईसेंस ; और
- (iii) मोटर कार चलाने का तीन वर्ष या उससे अधिक का अनुभव ।

टिप्पण 1 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नित की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नित द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया 3 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

टिप्पण 3 : प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

|          |             |           |               | <u> </u>  |                                       |                                      |
|----------|-------------|-----------|---------------|-----------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| पद का    | पदों की     | वर्गीकरण  | वेतन बैंड     | चयन पद है | सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों   | सीधे भर्ती किए जाने                  |
| नाम      | संख्या      |           | और ग्रेड      | अथवा      | के लिए आयु-सीमा                       | वाले व्यक्तियों के                   |
| ,        |             |           | वेतन /        | अचयन पद   |                                       | लिए अपेक्षित शैक्षिक                 |
|          |             |           | वेतनमान       |           |                                       | और अन्य अहर्ताएं                     |
| (1)      | (2)         | (3)       | (4)           | (5)       | (6)                                   | (7)                                  |
| 17.      | 7* (2013)   | लागू नहीं | वेतन बैंड-1,  | लागू नहीं | 18-27 বর্ষ                            | आवश्यक :                             |
| स्टाफ    |             | होता      | 5200 -        | होता      | (भारत सरकार द्वारा समय-समय पर         | (i) मान्यताप्राप्त बोर्ड             |
| कार      | * कार्यभार  |           | .20200 रु.    |           | जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के     | से मैट्रिकुलेशन या                   |
| चालक -   | के आधार     |           | ( ग्रेड वेतन- |           | अनुसार सरकारी सेवकों की दशा में       | समतुल्य ;                            |
| `सामान्य | पर परिवर्तन |           | 1900)         |           | शिथिल की जा सकती है) ।                | (ii) मोटर कार के                     |
| श्रेणी   | किया जा     |           |               |           | टिप्पण 1 : आयु-सीमा अवधारित           | , ,                                  |
|          | सकता है।    |           | ,             |           | करने के लिए निर्णायक तारीख भारत       | लिए विधिमान्य<br>ड्राईविंग लाईसेंस ; |
|          |             |           |               |           | में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने | अौर<br>और                            |
|          |             |           |               |           | के लिए नियत की गई अंतिम               |                                      |
|          |             |           |               |           | तारीख होगी ।                          | (iii) मोटर कार                       |
|          |             |           | ,             |           |                                       | चलाने का तीन वर्ष                    |
|          |             |           |               |           | टिप्पण 2 : रोजगार कार्यालय के         | या उससे अधिक का                      |

|   | ·  |     |   | <br> |  |                    |
|---|----|-----|---|------|--|--------------------|
| ٠ |    |     | : |      | माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों की            | अनुभव ।            |
| 1 | ** | N 1 |   |      | दशा में आयुसीमा अवधारित करने के              | वांछनीय : मोटर     |
|   |    |     |   |      | लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम                  | यंत्रावली का ज्ञान |
| 1 |    |     |   |      | तारीख होगी जिस तक रोजगार                     | (अभ्यर्थी वाहन की  |
|   | :  |     |   |      | कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा<br>गया है । | छोटी त्रुटि को ठीक |
|   |    |     |   |      | ाषा है।                                      | करने के योग्य हो)  |

| सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए | परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो । | भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नित द्वारा |
|--|---------------------------------|---|
| विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत     |                                 | या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों   |
| व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी           |                                 | द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता                |
| (8)  | (9)                             | (10)  |
| लागू नहीं होता                             | दो वर्ष                         | 100 % सीधी भर्ती द्वारा ।                             |
|  |                                 |   |

|                                       | -0-0-1-0-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-  | _ n                 |
|---------------------------------------|--|---------------------|
| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण द्वारा | यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना   | भर्ती करने में किन  |
| भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे   |  | परिस्थतियों में संघ |
| प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/अन्तरण        |  | लोक सेवा आयोग       |
| किया जाएगा                            |  | से परामर्श किया     |
| विश्वा जार्या                         |  | जाएगा               |
| (11)                                  | (12)   | (13)                |
| लागू नहीं होता                        | समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के लिए) जिसमें निम्नलिखित   | लागू नहीं होता      |
|                                       | अंग्रह के <b>होंगे :</b> कि अंग्रिक के लिए के |                     |
|                                       | (i) अधिकरण का अध्यक्ष या अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित   |                     |
|                                       | एक न्यायिक सदस्य -अध्यक्ष  |                     |
|                                       | (ii) अधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित विशेषज्ञ सदस्य - सदस्य  |                     |
|                                       | (iii) पर्यावरण और वन मंत्रालय का सचिव या उसका  |                     |
|                                       | नामनिर्देशिती - सदस्य  | 250                 |
|                                       | (iv) अधिकरण का रजिस्ट्रार - सदस्य  |                     |
|                                       |  |                     |
|                                       |  |                     |

[फा.सं. -17(4)/ 2013-पीएल/एनजीटी ]

सुरजीत सिंह, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ॥, खंड ३, उपखंड (i) में तारीख 17 जून, 2011 को अधिसूचना सं. 458(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे तथा पश्चात्वर्ती संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. 440(अ), तारीख 11-6-2012 द्वारा किए गए थे।

# MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FORESTS

### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 17th April, 2013.

G.S.R. 260(E).—In exercise of the powers conferred by Section 12 read with clause (h) of Section 35 of the National Green Tribunal Act, 2010 (19 of 2010), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, namely:—

| Name<br>of the<br>Post                                 | Number<br>of Post  | Classification    | Pay Band<br>and<br>Grade<br>Pay/<br>Scale of<br>Pay | Whether<br>selection<br>post or<br>non<br>selection<br>Post | Age limit<br>for direct<br>recruits | Educational<br>and other<br>qualification<br>required for<br>direct<br>recruits | Whether age<br>and<br>educational<br>qualification<br>prescribed<br>for direct<br>recruits will<br>apply in<br>cases of | probation if any  |
|--|--|-------------------|---|---|-------------------------------------|---|---|-------------------|
| 1  | 2  | 3                 | 4   | 5   | 6                                   | 7   | promotees<br>8  | 9                 |
| 14.<br>Staff<br>Car<br>Driver<br>—<br>Special<br>Grade | 1* (2013) Subject to variation depending upon the workload | Not<br>applicable | PB-2<br>Rs.9300-<br>34800<br>(GP-<br>4200)          | Non-<br>Selection   | Not<br>applicable                   | Not<br>applicable   | Not<br>applicable   | Not<br>applicable |
|  |  |                   |   |   |                                     |   |   |                   |

- 1. (1) These rules may be called the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and Other Terms and Conditions of Service of Officers and Other Employees) (Amendment) Rules, 2013.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
  - 2. In the National Green Tribunal (Recruitment, Salaries and other Terms and Conditions of Service of Officers and other Employees) Rules, 2011, the Schedule, after serial number 13 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries shall be inserted, namely:—

# **SCHEDULE**

| Method of         | In case of recruitment by                | 7.6.1   | Y _,            |
|-------------------|--|---|-----------------|
| recruitment:      | promotion/deputation/shametic            | If departmental promotion committee             | Circumstances   |
| whether by direct | promotion/deputation/absorption          | exists, what is its composition                 | in which Union  |
|                   |  |   | Public Service  |
| recruitment or by | promotion/deputation/absorption, to      |   | Commission is   |
| promotion or by   | be made                                  |   | to be consulted |
| deputation/absor  |  |   | in making       |
| ption and         |  |   | recruitment     |
| percentage of     |  |   |                 |
| vacancies to be   |  |   |                 |
| filled by various |  |   |                 |
| methods           |  |   | ļ               |
| 10                | 11                                       | 12  | 13              |
| 100% by           | <b>Promotion:</b> Promotion from amongst | Group 'B' and Group 'C'                         | Not applicable  |
| promotion         | Staff Car Drivers (Grade-I) in the       | Departmental Promotion Committee                | Trot applicable |
| failing which by  | National Green Tribunal with 6 years     | (for confirmation) consisting of :-             |                 |
| deputation        | regular service in PB-1 Rs.5200-         | (i) Chairperson of the Tribunal or a            |                 |
|                   | 20200                                    | Judicial Member to be nominated by              |                 |
|                   | (GP-2800).                               | the Chairperson — Chairman                      |                 |
|                   |  | (ii) Expert Member to be nominated              |                 |
|                   | Note: Where juniors who have             | by the Chairperson of the Tribunal              | .*              |
|                   | completed their qualifying or            | -Member   |                 |
|                   | eligibility service are being considered |   |                 |
|                   | for promotion, their seniors shall also  |   |                 |
|                   | be considered provided they are not      | Environment and Forests or his nominee — Member | ,               |
|                   | short of the requisite qualifying or     | ***************************************         | ``              |
|                   | eligibility service by more than half of | (iv) Registrar of the Tribunal                  |                 |
|                   | such qualificing or cligibility          | - Member  |                 |
| 1 had 1           | such qualifying or eligibility service   |   |                 |
|                   | or two years, whichever is less and      |   |                 |
|                   | have successfully completed their        |   | , ]             |
| <b>l</b> :        | probation period for promotion to the    |   | 1               |
|                   | next higher grade along with their       |   |                 |

juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

Deputation:Persons holding analogous post on regular basis:

- (a) In PB-1 Rs. 9300-34800 (GP-4200) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals, or
- (b) with 6 years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2800) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals.

# Essential:

- (i) Matriculation or equivalent Qualification from a recognized Board;
- (ii) having a valid driving licence for motor cars; and
- (iii) experience of driving a motor car for three years or more.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

|                     |                   |                | •                                    |   |                                     | 4   |   |                                  |
|---------------------|-------------------|----------------|--------------------------------------|---|-------------------------------------|---|---|----------------------------------|
| Name of<br>the Post | Number<br>of Post | Classification | Pay Band and Grade Pay/ Scale of Pay | Whether<br>selection<br>post or<br>non<br>selection<br>Post | Age limit<br>for direct<br>recruits | Educational<br>and other<br>qualification<br>required for<br>direct<br>recruits | Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in cases of promotees | Period of<br>probation<br>if any |
| 1                   | 2                 | 3              | 4                                    | ] 5   | 6                                   | 7   | 8   | 9                                |

1621 95713-3

|   | 15. Staff<br>Car    | 7*(2013)<br>Subject to | Not<br>Applicable | PB-1<br>Rs,5200- | Non<br>Selection | Not<br>applicable | Not<br>applicable | Not<br>applicable | Not applicable |
|---|---------------------|------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| : | Driver –<br>Grade-I | variation depending    |                   | 20200<br>(GP-    |                  | ,                 |                   |                   |                |
|   |                     | upon the<br>workload   |                   | 2800)            |                  |                   | - 1               |                   |                |

|                       | ·                                  |  |                                       |
|-----------------------|------------------------------------|--|---------------------------------------|
| Method of             | In case of recruitment by          | If departmental promotion committee      | Circumstances                         |
| recruitment:          | promotion/deputation/absorption    | exists what is its composition           | in which Union                        |
| whether by direct     | grades from which                  |  | Public Service                        |
| recruitment or by     | promotion/deputation/              |  | Commission is                         |
| promotion or by       | absorption, to be made             |  | to be consulted                       |
| deputation/           |                                    |  | in making                             |
| absorption and        |                                    |  | recruitment                           |
| percentage of         |                                    |  |                                       |
| vacancies to be field |                                    |  |                                       |
| by various methods    |                                    |  |                                       |
| 10                    | 11                                 | 12                                       | 13                                    |
| 100% by promotion     | Promotion: Promotion from          | Group 'C' Departmental Promotion         | Not applicable                        |
| failing which by      | amongst Staff Car Driver           | Committee (for confirmation)             |                                       |
| deputation/absorption | (Grade-II) in the National Green   | consisting of :-                         | •                                     |
|                       | Tribunal with 5 years regular      | (i) Chairperson of the Tribunal or a     |                                       |
| •                     | service in PB-1, Rs. 5200-20200    | Judicial Member to be nominated by the   |                                       |
|                       | (GP-2400).                         | Chairperson – Chairman                   |                                       |
|                       |                                    | (ii) Expert Member to be nominated by    |                                       |
|                       | Note: Where juniors who have       | the Chairperson of the Tribunal -        |                                       |
|                       | completed their qualifying or      | Member                                   |                                       |
|                       | eligibility service are being      | (iii) Secretary, Ministry of Environment |                                       |
|                       | considered for promotion, their    | and Forests or his nominee - Member      |                                       |
|                       | seniors shall also be considered   | (iv) Registrar of the Tribunal - Member  |                                       |
|                       | provided they are not short of     |  |                                       |
|                       | the requisite qualifying or        |  | 4.                                    |
|                       | eligibility service by more than   | •  |                                       |
|                       | half of such qualifying or         |  |                                       |
| •                     | eligibility service or two years,  | •  |                                       |
|                       | whichever is less and have         |  |                                       |
|                       | successfully completed their       |  |                                       |
|                       | probation period for promotion     |  |                                       |
|                       | to the next higher grade           |  |                                       |
|                       | alongwith their juniors who have   |  |                                       |
|                       | already completed such             |  |                                       |
|                       | qualifying or eligibility service. | ·  |                                       |
| ·                     |                                    |  |                                       |
|                       | Deputation: Persons holding        |  |                                       |
|                       | analogous post on regular basis:   |  |                                       |
| ·                     | (a) in PB-1 Rs. 5200-20200         |  |                                       |
|                       | (GP-2800) in Central               |  |                                       |
| •                     | Government or State                |  |                                       |
|                       | Government or Courts or            |  | •                                     |
|                       | Tribunals, or                      |  |                                       |
| . *                   | (b) with 5 years regular service   |  |                                       |
|                       | in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-        |  |                                       |
|                       | 2400) ) in Central Government      |  |                                       |
|                       | or State Government or Courts      |  | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
|                       | or Tribunals.                      | •  |                                       |
|                       |                                    | 1  |                                       |
|                       | Essential:                         |  |                                       |
|                       | (i) Matriculation or equivalent    | ·  |                                       |
|                       | Qualification from a recognized    | · .                                      | :                                     |
|                       | Board;                             |  |                                       |
| ]                     | (ii) having a valid driving        |  |                                       |

| licence for motor cars; and (iii) experience of driving a motor car for three years or more.  Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. |  |  |
|--|--|--|
| Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.  |  |  |
| Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.  |  |  |

| Name of<br>the Post  | Number<br>of Post  | Classification  | Pay Band<br>and Grade<br>Pay/ Scale<br>of Pay | Whether<br>selection<br>post or<br>non | Age limit<br>for direct<br>recruits  | Educational<br>and other<br>qualification<br>required for                | Whether age<br>and<br>educational<br>qualification                             | Period of<br>probation<br>if any |
|--|--|---|---|--|--------------------------------------|--|--|----------------------------------|
|  |  |   |   | Post                                   |                                      | direct<br>recruits   | prescribed<br>for direct<br>recruits will<br>apply in<br>cases of<br>promotees |                                  |
| 1  | 2  | 3   | 4   | 5                                      | 6                                    | 7  | 8  | 9                                |
| 16. Staff Car Driver – Grade-II                                | 6*(2013) *Subject to variation depending                   | Not<br>applicable   | PB-1<br>Rs. 5200-<br>20200<br>(GP-2400)       | Non<br>Selection                       | Not<br>applicable                    | Not<br>applicable  | Not<br>applicable  | Not<br>applicable                |
| 31440 11   | upon<br>workload.  |   | (32 2733)                                     |  |                                      |  |  |                                  |
| by direct to or by pror deputation and perce                   | nt: whether<br>recruitment<br>notion or by<br>n/absorption | from which promotion/deputation/ y absorption, to be made |   |  | ntal promotion<br>exists what is its | Circumstanc<br>Union Public<br>Commission<br>consulted in<br>recruitment | Service<br>is to be  |                                  |
| by various methods   |  | <u> </u>  |   |  |                                      |  |  |                                  |
| 10   |  |   |   |  | 12                                   |  | 13   | <del> </del>                     |
| 100% by promotion<br>failing which by<br>deputation/absorption |  | ing which by Staff Car Driver (Grade-II) in the           |   |  | Promotion                            | Departmental<br>Committee (for<br>on) consisting                         | Not applica  | ble                              |

1621 90713-4

regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-1900).

Note: Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors shall also be considered provided they are not short of

the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade alongwith their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.

**Deputation:** Persons holding analogous post on regular basis:

(a) in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-2400) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals, or (b) with 8 years regular service in PB-1 Rs. 5200-20200 (GP-1900) ) in Central Government or State Government or Courts or Tribunals.

#### Essential:

- (i) Matriculation or equivalent Qualification from a recognized Board;
- (ii) having a valid driving licence for motor cars; and
- (iii) experience of driving a motor car for three years or more.

Note 1: The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.

Note 2: Period of deputation including the period of deputation in another excadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organization/department of the Central Government shall ordinarily not exceed 3 years.

Note 3: The maximum age limit for appointment by deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.

(i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated by the Chairperson - Chairman (ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal - Member (iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee - Member (iv) Registrar of the Tribunal

- Member

|          | Car I            | CI 10 17     | n         | 33.71     | A 12           | Educational     | Whether age   | Period of    |
|----------|------------------|--------------|-----------|-----------|----------------|-----------------|---------------|--------------|
| Name of  | Number           | Classificati | Pay       | Whether   | Age limit      | •               | and           |              |
| the Post | of Post          | on           | Band      | selection | for direct     | and other       |               | probation if |
|          |                  |              | and       | post or   | recruits       | qualification   | educational   | any          |
|          |                  | •            | Grade     | non-      |                | required for    | qualification |              |
| -        |                  |              | Pay/      | selection |                | direct recruits | prescribed    |              |
|          |                  | ·            | Scale of  | Post      |                |                 | for direct    |              |
|          |                  |              | Pay       |           |                |                 | recruits will |              |
|          |                  |              |           | 1         |                | ·               | apply in      |              |
|          |                  |              |           |           |                |                 | cases of      |              |
|          |                  |              |           |           |                | ı.              | promotees     |              |
|          |                  |              | 4         | <u> </u>  | 6              | 7               | 8             | 9            |
| 1        | 2 .              | Not          | 4<br>PB-1 | 5<br>Not  | 18-27 years    | Essential:      | Not           | 2 Years      |
| 17.      | 7* (2013)        |              | Rs.5200   | appli-    | (relaxable     | (i)             | applicable    | 2 Tears      |
| Staff    | *Subject to      | applicable   | -20200    | cable     | for            | Matriculation   | applicable    |              |
| Car      | variation        |              | (GP-      | Caule     | Government     | or equivalent   |               | ,            |
| Driver - | depending        | ,            | 1900)     |           | servants in    | Qualification   |               |              |
| Ordina   | upon<br>workload |              | 1900)     |           | accordance     | from a          | 1             |              |
| ry       | workioad         |              | ·         |           | with the       | recognized      | •             | 1            |
| Grade    | •                |              |           |           | instructions   | Board;          |               |              |
|          |                  |              |           |           | or orders      | (ii) having a   | -             | 1            |
| 1        |                  |              |           |           | issued by the  | 1 ' '           |               |              |
|          |                  |              |           | •         | Government     |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | of India from  |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | time to        | and             |               |              |
| •        |                  |              |           |           | time).         | (iii)           |               |              |
|          |                  |              |           | •         | Note 1: the    | experience of   |               |              |
| -        |                  |              |           |           | crucial date   | driving a       |               |              |
|          |                  |              |           |           | for            | motor car for   |               |              |
| }        |                  |              |           |           | determining    | three years or  |               | '            |
|          | •                |              |           |           | the age limit  | more.           |               |              |
|          |                  |              |           |           | shall be the   |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | closing date   | Desirable :     |               |              |
|          |                  |              |           |           | for receipt of |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | applications.  |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | Note 2: In     | mechanism       |               | •            |
|          |                  | ·            | 1         |           | case of the    | (the candidate  |               |              |
|          |                  |              |           |           | recruitment    | should be able  |               |              |
|          |                  |              |           |           | made           | to rectify the  |               | ,            |
|          |                  |              |           |           | through the    | minor defects   | ·             |              |
|          |                  |              |           |           | Employment     |                 |               |              |
| 1.       |                  |              |           |           | Exchange,      |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | the crucial    |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | date for       |                 |               |              |
| -        |                  |              |           | 1         | determining    |                 |               |              |
| 1.       |                  |              |           |           | the age limit  | •               |               | ] .;         |
| 1        |                  |              |           |           | shall be the   |                 |               |              |
|          |                  | ļ            |           |           | last date up   |                 |               |              |
|          |                  |              |           |           | to which       |                 |               | -            |
|          |                  |              |           |           | Employment     |                 |               | 1            |
| 1        | 1                |              |           |           | Exchange is    |                 | 1             |              |
|          |                  |              |           |           | asked to       | Ţ.              |               |              |
| 1        |                  |              | 1         |           | submit the     | • •             |               |              |
|          |                  |              |           | 1         | names.         | l               |               | <u> </u>     |

|                            | In case of recruitment by promotion/deputation/absorption grades from which promotion/deputation/absorption, to be made | If departmental promotion committee exists what is its composition  | Circumstances in<br>which Union Public<br>Service Commission<br>is to be consulted in<br>making recruitment |
|----------------------------|---|---|---|
| 10                         | 11  | 12  | 13  |
| 100% by direct recruitment | Not applicable  | Group 'C' Departmental  | Not applicable  |
| ,                          | Tot approarts   | Promotion Committee (for confirmation) consisting of:- (i) Chairperson of the Tribunal or a Judicial Member to be nominated   |   |
|                            |   | by the Chairperson – Chairman (ii) Expert Member to be nominated by the Chairperson of the Tribunal – Member (iii) Secretary, Ministry of Environment and Forests or his nominee – Member (iv) Registrar of the Tribunal - Member |   |

[F. No. 17(4)/2013-PL/NGT] SURJIT SINGH, Jt. Secy.

Note:—The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, part II, Section 3, Sub-section (i) dated 17<sup>th</sup> June, 2011 vide notification number 458(E) dated the 17<sup>th</sup> June, 2011 and were subsequently amended vide notification number G.S.R. 440(E) dated 11<sup>th</sup> June, 2012.